भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. 298*

जिसका उत्तर सोमवार, 28 जुलाई, 2014 को दिया जाना है

हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राजसहायता

298*. श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव:

श्री धनंजय महाडीक:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान में हाइब्रिड वाहनों सहित इलेक्ट्रिक वाहन शुरू करने और उनके विनिर्माण पर विचार किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राजसहायता प्रदान करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ कितनी राजसहायता प्रदान किए जाने का विचार है और राजकोष पर इसका क्या प्रभाव होगा;

(ग) उक्त राजसहायता योजना कब तक शुरू की जाएगी; और

(घ) सरकार द्वारा देश में, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री

(श्री अनंत जी. गीते)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

'हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए राजसहायता' के बारे में श्री मोहिते पाटिल विजयसिंह शंकरराव तथा श्री धनंजय महाडीक, संसद सदस्यों द्वारा पूछे गए दिनांक 28.07.2014 के लोकसभा तारांकित प्रश्न सं. 298* के भाग (क) से (घ) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क): जी, हां। नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन 2020 के तहत एक योजना प्रस्तावित की गई है। इस योजना को व्यय वित्त समिति (ईएफसी) तथा मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

इस योजना का प्रयोजन तीव्र अंगीकरण (बाजार निर्माण और इससे संबद्ध क्रियाकलाप) घरेलू प्रौद्योगिकी विकास (अनुसंधान और विकास) और माइल्ड हाइब्रिड, फुल हाइब्रिड वाहनों (एचईवी), प्लग-इन हाइब्रिड्स (पीएचईवी) और प्योर इलेक्ट्रिक वाहनों (बीईवी) (जिन्हें कुल मिलाकर एक्सईवी कहा जाता है) सहित क्लीनर इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकियों की संपूर्ण रेंज के निर्माण को प्रोत्साहित करना है जिससे भारत में एक मजबूत, वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, व्यवहार्य और आत्मनिर्भर इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग और इसके पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन हो सके। यह मिशन प्लान एक्सईवी के 6-7 मिलियन नए वाहनों की बिक्री के लिए है, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2020 तक 2.2 - 2.5 मिलियन टन ईंधन की बचत की जा सकती है।

(ख): सरकार इस योजना में इलेक्ट्रिक वाहनों के तेजी से अंगीकरण के लिए मांग प्रोत्साहन योजना के संबंध में व्यय वित्त समिति और मंत्रिमंडल के जरिए प्रस्तावित योजना की जांच करेगी। इस योजना में एक समेकित दृष्टिकोण का प्रस्ताव किया गया है तथा इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों की संपूर्ण रेंज (माइल्ड, स्ट्रांग, प्लग-इन, बीईवी वेरियेंट्स शामिल हैं) सहित सभी वाहन क्षेत्र प्रोत्साहन योजना के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। वाहन क्षेत्रों का प्राथमिकीकरण, ईंधन बचत की संभावना तथा व्यापक अंगीकरण की संभावना को अधिकतम करने के दो व्यापक उद्देश्यों पर आधारित है। ईएफसी तथा मंत्रिमंडल द्वारा योजना को अनुमोदित कर दिए जाने की स्थिति में विभिन्न वाहन क्षेत्रों के लिए अगले 6 वर्षों हेतु सहायता प्रदान की जाएगी और इस अवधि के दौरान आशा है कि इस उद्योग को विनिर्माण क्षमता और प्रौद्योगिकी योग्यता, दोनों में लाभ होगा और इस योजना की अवधि के अंत (2020) तक आत्मनिर्भर हो जाएगा।

ईएफसी तथा मंत्रिमंडल के अनुमोदन की शर्त के अध्याधीन वर्ष 2014-2020 तक मांग प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वित करने के लिए लगभग ₹12,470 करोड़ का अनुमानित व्यय होगा। विभिन्न एक्सईवी पर प्रस्तावित सहायता निम्नानुसार है:-

	2014		2015		2016		2017		2018		कुल संख्या	कुल राशि
	वाहन	₹ करोड़ में	वाहन	₹ करोड़ में	वाहन	₹ करोड़ में	वाहन	₹ करोड़ में	वाहन	₹ करोड़ में	वाहन	₹ करोड़ में
दुपहिया	224,389	92	568,107	282	1,138,853	525	1,466,467	710	2,123,879	983	5,521,695	2,592
तिपहिया	0	0	13,864	5	19,496	8	20,961	10	24,713	6	79,034	29
चौपहिया	8,841	80	161,756	659	280,304	1,155	414,730	1,557	713,947	1,715	1,579,578	5,166
एलसीवी	0	0	42,998	91	80,320	199	140,658	329	196,606	228	460,582	847
बसें	1,000	404	1,000	404	3,000	876	3,000	876	3,000	876	11,000	3,436
कुल	234,230	576	787,725	1,441	1,521,973	2,238	2,045,816	3,482	3,062,145	3,808	7,651,889	12,070

(ग): मिशन कार्यक्रम को मंत्रिमंडल का अनुमोदन मिलने के बाद वर्ष 2014-2020 के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।

(घ): सरकार ऐसे प्रासंगिक प्रदर्शनों को, जिनसे जो नए (इलेक्ट्रिफाइड) वाहन क्षेत्र जनता की नजरों में आएंगे तथा जिनसे उन पर सवारी करने वाली जनता को इलेक्ट्रिफाइड परिवहन की नई कार्यशैली के लाभ का अनुभव करने का अवसर मिलेगा, विकसित करने के लिए राज्य सरकार के निकायों, वाहन विनिर्माताओं और फ्लीट आपरेटर्स, उद्योग एसोसिएशनों आदि जैसे अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ गहन विचार-विमर्श के माध्यम से विशिष्ट प्रायोगिक प्रदर्शन परियोजनाएं विकसित कर रही है।

*****